287

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक / 2016 निगरानी निग -3196- II-16

बाबू सिंह पुत्र दुलारे सिंह ठाकुर कृषक ग्राम ककरवाया हाल निवासी सुभाष कालोनी शिवपुरी म.प्र.

..... आवेदक

बनाम

म.प्र. शासन .... अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, शिवपुरी म.प्र. द्वारा प्रकरण क्रमांक 14/ 15–16 / अ– 21 (2) में पारित आदेश दिनांक 16.02.2016 से परिवेदित होकर प्रस्तुत है।

महोदय,

आवेदक की ओर से निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

1. यहकि, आवेदक के स्वत्व स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि ग्राम ककरवाया तहसील शिवपुरी में स्थित है। जिसका सर्वे क्रमांक 573 रकवा 1.40 हेक्टर है जिसका पट्टा आवेदक के पिता दुलारे सिंह पुत्र श्री हुकुम सिंह ठाकुर पुराना सर्वे क्रमांक 297/ 1 का वर्ष 1976 में प्रकरण क्रमांक 94/ 75–76 / अ– 19 के तहत प्राप्त हुआ था पिता की मृत्यु के पश्चात आवेदक का नाम राजस्व अभिलेख में बतौर भूमि स्वामी अंकित है।

2. यहकि, आवेदक अपनी वृद्धावस्था के कारण उक्त भूमि की देखभाल नही कर पा रहा है तथा लडकी की शादी हेतु पैसों की आवश्यकता होने के कारण उक्त भूमि को विक्रय करना चाहता है। इस बाबत अधीनस्थ न्यायालय में धारा 165 (7) म.प्र. भू राजस्व संहिता के अंतर्गत गजट में प्रकाशित अध्यादेश 2015 जो म.प्र. राज्य पत्र असाधारण में दिनांक 21.08.2015 को प्रकाशित होने के आधार पर आवेदन दिया गयाजो

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

....

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक 3196/ ।।/2016 निगरानी जिला शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23-9-2016	यह निगरानी आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, जिला शिवपुरी के प्रकरण कमांक 14/15-16/अ-21 (2) में पारित आदेश दिनांक 16-2-2016 से परिवेदित होकर, म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है। 2- प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक द्वारा कृषि भूमि ग्राम ककरवाया तहसील शिवपुरी स्थित भूमि सर्वे नम्बर 573 रकवा 1.40 हैक्टर (पुराना सर्वे नम्बर 297/1) जिसका पट्टा आवेदक के पिता दुलारे सिंह पुत्र श्री हुकुम सिंह ठाकुर को वर्ष 1976 में प्रकरण कमांक 94/75-76/अ-19 के तहत प्राप्त हुआ था पिता की मृत्यु के बाद आवेदक का नाम राजस्व अभिलेख में बतौर भूमि स्वामी दर्ज है। आवेदक द्वारा वृद्वावस्था के कारण उक्त प्रश्नाधीन भूमि की देखभाल न कर पाने एवं लडकी की शादी हेतु रूपयों की आवश्यकता होने के कारण प्रश्नाधीन भूमि के विकय्र अनुमति हेतु धारा 165 (7) म.प्र.भू राजस्व संहिता के अन्तर्गत गजट में प्रकाशित अध्यादेश 2015 जो म.प्र. राज्य पत्र असाधारण में दिनांक 21-8-2015 को प्रकाशित होने के आधार पर आवेदन पत्र अनुविभागीय अधिकारी शिवपुरी के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। उक्त आवेदन पर से अनुविभगीय अधिकारी ने प्रकरण पंजीवद्ध कर आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन तहसीलदार को जांच हेतु भेजा गया। तदुपरांत दिनांक 31-12-2015 को अध्यादेश समाप्त होने से अनुविभागीय अधिकारी ने आलोच्य आदेश दिनांक 16-2-2016 द्वारा आवेदक का प्रस्तुत भूमि विकय का आवेदन निरस्त किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के आलोच्य आदेश के विरूद्ध यह	

निगरानी पेश की गई है।

3— आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया है कि आवेदक द्वारा कृषि भूमि ग्राम ककरवाया तहसील शिवपुरी स्थित भूमि सर्वे नम्बर 573 रकवा 1.40 हैक्टर (पुराना सर्वे नम्बर 297/1) जिसका पट्टा आवेदक के पिता दुलारे सिंह पुत्र श्री हुकुम सिंह ठाकुर को वर्ष 1976 में प्रकरण कमांक 94/75—76/अ—19 के तहत प्राप्त हुआ था पिता की मृत्यु के बाद आवेदक का नाम राजस्व अभिलेख में बतौर भूमि स्वामी दर्ज है। आवेदक द्वारा वृद्वावस्था के कारण उक्त प्रश्नाधीन भूमि की देखभाल न कर पाने एवं लडकी की शादी हेतु रूपयों की आवश्यकता होने के कारण प्रश्नाधीन भूमि के विकय अनुमति हेतु आवेदन अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में पेश किया गया था। उक्त आवेदन पर से अनुविभागीय अधिकारी ने तहसीलदार को जांच हेतु भेजा परन्तु दिनांक 31—12—2015 को अध्यादेश समाप्त हो जाने से आवेदक के आवेदन को निरस्त करने में न्यायिक त्रुटि की गई है।

उनका यह भी तर्क है कि, प्रश्नाधीन भूमि शासकीय है जो प्रकरण कमांक 94/75—76/अ—19 के तहत आवेदक के पिता को पट्टे पर प्राप्त हुई थी। पिता की मृत्यु पश्चात रक्त भूमि पर आवेदक का नाम बतौर भूमि स्वाामी राजस्व अभिलेख में दर्ज हो चुका है। तथा वर्तमान में आवेदक वृद्वावस्था के कारण प्रश्नाधीन भूमि की देखभाल नहीं कर पा रहा है एवं आवेदक की पुत्री की शादी हेतु रूपयों की आवश्यकता है। उक्त आधारों पर उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को निरस्त कर प्रश्नाधीन भूमि के विकय की अनुमति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

4— अनावेदक शासन की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के ओदश को उचित बताते हुए निगरानी निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्को पर विचार

किया एंव प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि, अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदक के आवेदन पत्र को दिनांक 31–12–2015 को अध्यादेश समाप्त हो जाने के कारण निरस्त किया गया है। दर्शित परिस्थिति में यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में जिन आधार पर अनुविभागीय अधिकारी ने आवेदक को भूमि विक्रय की अनुमति देने से इन्कार किया है, वे आधार न्यायसंगत एवं औचित्यपूर्ण नहीं है इस कारण उनका आलोच्य आदेश स्थिर नहीं रखा जा सकता।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–2–2016 निरस्त किया जाता है एवं यह निगरानी समय सीमा में स्वीकार की जाती है साथ ही आवेदक को उसके भूमि स्वामित्व की कृषि भूमि सर्वे नम्बर 573 रकवा 1.40 हैक्टर (पुराना सर्वे नम्बर 297/1) की विक्रय की अनुमति निम्न शर्तो के साथ प्रदान की जाती है।

1– यदि प्रस्तावित केता वर्तमान वर्ष की गाइड लाइन की दर से भूमि का मूल्य देने को तैयार हो।

2– केता द्वारा विक्रय प्रतिफल की राशि आवेदक के खाते में जमा की जावेगी।

3– केता द्वारा विक्रय पत्र प्रस्तुत करने पर विक्रय धन विकेता (आवेदक) के नाम पंजीयन दिनांक को जमा होने की पुष्टि कर उप पंजीयक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि के विक्रय पत्र का पंजीयन किया जायेगा।

4– भूमि के विक्रय पत्र का पंजीयन इस आदेश के दिनांक से 3 माह की समयावधि में निष्पादित कराना अनिवार्य होगा।

(एम.के.सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश, ग्वालियर